न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 98/2025 G.C.M.S. No. 2025/460 दर्ज दिनांक : 21.07.2025

अपीलार्थी:

1. चुतराराम पुत्र रायचन्द,
2. सुबटी देवी पत्नी रायचन्द,
3. हरलाल पुत्र हरजी, तमाम जातियान विश्नोई, निवासीगण भादू व गोयतो की ढाणी, गुडाहेमा, तहसील चितलवाना जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. ओखाराम पुत्र कमाराम, जाति कलबी, निवासी गुडाहेमा, तहसील चितलवाना, जिला जालोर।
2. भूमिधारी तहसीलदार, चितलवाना, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2024 बअनवान चुतराराम वगैरह बनाम ओखाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथिमक डिक्री दिनांक 02.05.2025

पैरोकार:–

1. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बाराड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री अशोक सारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 13.03.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 101/2024 बअनवान चुतराराम वगैरह बनाम ओखाराम वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.05.2025 की विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह है कि अपीलांट वादीगण ने सहायक कलेक्टर, चितलवाना में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट के तहत पेश कर सरहद मौजा गुडाहेमा तहसील चितलवाना के खातेदारी खेत खसरा नंबर 416 रकबा 1.78 हैक्टयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.11 हैक्टयर जुमले रकबा 1.89 जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 इस प्रकार संयुक्त शामताली आराजी आई हुई है। उक्त आराजी का काफी समय पूर्व मौखिक बंटवाड़ा हो गया था तथा मौखिक बंटवाडा अनुसार अपने–अपने पुश्तैनी हक, हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी पर हम वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

ने काफी धन लगाकर खाद आदि डालकर भूमियों को समतल कर उपजाऊ बनाया लेकिन संयुक्त खातेदारी होने से आये दिन प्रतिवादी दखलन्दाजी करते रहते है। कहीं बार बंटवाडा करने हेतु निवेदन किया है लेकिन नहीं माने तब जाकर हम वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 17.10.2024 को बंटवाड़ा का दावा पेश किया। वाद दिनांक 29.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी किये सम्मन तामील होने पर प्रतिवादी के और से जवाब बन्द करवाया गया एवं बिना साक्ष्य सबूत पेश किये न ही से गवाहों के बयान लेखबद्ध किये गये। एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं कर एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की है। जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण दर्ज करने के पश्चात् नोटिस तामिल होने पर पत्रावली दिनांक 18.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 के जवाब हेतु नियम थी, जवाब नहीं देने पर आगामी तारीख पेशी 02.05.2025 को जवाब बन्द किया गया बिना बहस सुने ही अपीलांट्स व उनके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में आनन–फानन में अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से उसी रोज निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई, जबकि प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व तनकीयात कायम की जाकर वादी व प्रतिवादी के साक्ष्य शपथ पत्र पत्रावली में पेश होते, बयानात, गवाह, अपना–अपना कब्जा साबित करने हेतु सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता लेकिन विधि के सुस्थापित सिद्धांत है कि उपरोक्त तमाम जानकारी एवं दस्तावेजात की सुनवाई किये बगैर विधि के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बंटवाड़ा स्वयं अपीलांट्स द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है लेकिन उनको ही उनके बताये कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा नहीं करना एवं न ही तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार निर्णय पारित करना तथा किसी भी प्रकार से वादीगण के न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करना कानून का खुल्लम खुल्ला घोर उल्लंघन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व कब्जा साबित करने बाबत् कोई दस्तावेज रेस्पोडेंट ने पेश नहीं किये, न ही कोई साक्ष्यबद्ध कलमबद्ध करवाई गई। इस प्रकार उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम की धारा 18 से 21 की पूर्णतः पालना नहीं करते एवं विधि के आज्ञापक प्रावधानों अनुपालना नहीं कर एकपक्षीय निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गयी। जो काबिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

खारिज योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्ध दावा बाबत् विभाजन खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.05.2025 किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 21.07.2025 को विलम्ब के साथ पेश की गयी।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स वादीगण द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील के विहित परिसीमा 60 दिवस के स्थान पर 19 दिवस के विलम्ब के साथ हस्तगत अपील प्रस्तुत की गयी है। लेकिन अपीलांट्स द्वारा विलम्बकाल माफ करने के लिए धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। एवं न ही अपील मीमों में विलम्ब माफ करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र की है। चूंकि अपीलांट्स स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण थे, तथा अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 16.07.2025 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गयी है। प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के उपरान्त भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी। हमारे विनम्र मत में हालांकि विलम्ब के संबंध में उदार रूख अपनाया जाना चाहिए लेकिन चूंकि अपीलांट्स द्वारा न तो धारा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है एवं न विलम्बकाल माफ करने के लिए कोई प्रार्थना की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की प्रार्थना/याचना के अभाव में किसी प्रकार का अनुतोष न्यायालय द्वारा स्वतः प्रदान किया जाना न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधि सम्मत एवं स्वीकार्य नहीं माना जा सकता। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अपीलांट प्रथम अपील के लिए विहित परिसीमा अवधि 60 दिवस के पश्चात् विलम्ब से प्रस्तुत होने से अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **13.03.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली